न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 11/2017 – निगरानी

1. रघुनाथ पुत्र भालूराम गुर्जर निवासी शंभूगढ तहसील आसीन्द 2. हरदेव पुत्र भालूराम गुर्जर निवासी शम्भूगढ तहसील आसीन्द	बनाम	1. भैरूलाल पुत्र कल्याण सेन निवासी जीवार तहसील आसीन्द 2. ग्राम पंचायत शम्भूगढ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शम्भूगढ तहसील आसीन्द
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत शंभूगढ दिनांक 26.05.2014

उपस्थित –

1. श्री रामस्वरूप जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री संजय सेन, राकेश जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 14.11.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी संख्या–2 द्वारा विपक्षी संख्या–1 पुराने गृहों के विनियमितीकरण का पट्टा नियम 157 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत जारी किया गया, जबकि विपक्षी संख्या–1 ग्राम पंचायत शम्भूगढ का निवासी नहीं है। विपक्षी संख्या–1 ग्राम जीवार, ग्राम पंचायत जगपुरा तहसील आसीन्द का निवासी है तथा ग्राम जीवार में ही निवासरत है। ग्राम शम्भूगढ में विपक्षी संख्या 1 व उसके पूर्वज कभी निवासरत नही रहे हैं, फिर भी निगराकारगण के कब्जेशुदा एवं पट्टेशुदा भूखण्ड का पट्टा विपक्षी संख्या–1 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत शम्भूगढ द्वारा निगराकारगण को जरिये मिशल संख्या 301 के तहत दिनांक 26.05. 2014 को पुराने गृहो का विनियमितीकरण का पट्टा संख्या–50 जारी किया गया, जिसकी नपती 30 फीट बाई 50 फीट है, जिस पर निगराकारान का कब्जा है, के आंशिक भू–भाग का पट्टा विपक्षी संख्या–1 को जारी कर दिया गया, इस कारण विपक्षी संख्या–1 के हक में जारी किया गया पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। निगराकारान ग्राम शम्भूगढ के ही निवासी है तथा शम्भूगढ में ही निवास करते चले आ रहे हैं तथा शम्भूगढ में उनका पैतृक मकान था, जिस जगह का पुराने गृहों को विनियममितीकरण का पट्टा पंचायत द्वारा प्रार्थीगण/निगराकारान के हक में जारी किया गया। उक्त पट्टेशुदा भू–भाग पर प्रार्थीगण/निगराकारान काबिज हो पट्टेशुदा जायदाद का उपयोग – उपभोग करते चले आ रहे है। विपक्षी संख्या–1 भैरूलाल सेन ग्राम जीवार पंचायत जगपुरा का रहने वाला है, जो शम्भूगढ से 10 किमी दूरी पर है तथा भैरूलाल तथा उसके पिता श्री कल्याणमल जी का शम्भुगढ में कभी पुश्तैनी मकान नहीं रहा है, केवल मात्र तत्कालीन

सरपंच शान्ता देवी विपक्षी संख्या–1 की मिलने वाली होने के कारण विपक्षी संख्या–1 को नाजायज तौर लाभ पहुंचाने की गरज से प्रार्थीगण / निगराकारान के कब्जेशुदा एवं पट्टेशुदा भूखण्ड के आंशिक भू–भाग का पट्टा नियमों के विपरीत विपक्षी संख्या–1 के हक में जारी कर दिया। विपक्षी संख्या–2 द्वारा विपक्षी संख्या–1 के हक में पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत राज नियमों की कोई विधिवत् पालना नहीं की है, न ही स्थल नक्शा मौका पर बनाया है तथा न ही आपत्ति सूचनापत्र ही मौके पर चस्पा किया है, अगर स्थल नक्शा मौके पर बनाया जाता एवं आपत्ति सूचनापत्र मौके पर चस्पा किया जाता तो प्रार्थीगण / निगराकारगण जो कब्जाधारी थे, उन्हें इस तथ्य की पूरी जानकारी होती। पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 146 से लगाकर 157 तक के नियमों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थीगण/निगराकारान की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या–2 द्वारा विपक्षी संख्या–1 के हक में जरिये मिशल संख्या 366 के जरिये दिनांक 26.05.2014 को पुराने गृहों के विनियमितीकरण का पट्टा संख्या 43 जारी किया गया, को अपास्त किया जावें।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 01.05.2017 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार सं. 01 की ओर से जवाब पेश हुआ। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत शम्भूगढ से रिकार्ड की फोटोप्रति प्राप्त हुयी।

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। निगराकार अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की। जिसमें बताया गया कि विपक्षी संख्या–2 द्वारा विपक्षी संख्या–1 पुराने गृहों के विनियमितीकरण का पट्टा नियम 157 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत जारी किया गया, जबकि विपक्षी संख्या–1 ग्राम पंचायत शम्भूगढ का निवासी नहीं है। विपक्षी संख्या–1 ग्राम जीवार, ग्राम पंचायत जगपुरा तहसील आसीन्द का निवासी है तथा ग्राम जीवार में ही निवासरत है। ग्राम शम्भूगढ में विपक्षी संख्या 1 व उसके पूर्वज कभी निवासरत नही रहे हैं, फिर भी निगराकारगण के कब्जेशुदा एवं पट्टेशुदा भूखण्ड का पट्टा विपक्षी संख्या–1 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत शम्भूगढ द्वारा निगराकारगण को जरिये मिशल संख्या 301 के तहत दिनांक 26.05.2014 को पुराने गृहो का विनियमितीकरण का पट्टा संख्या–50 जारी किया गया, जिसकी नपती 30 फीट बाई 50 फीट है, जिस पर निगराकारान का कब्जा है, के आंशिक भू–भाग का पट्टा विपक्षी संख्या–1 को जारी कर दिया गया, इस कारण विपक्षी संख्या–1 के हक में जारी किया गया पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। निगराकारान ग्राम शम्भूगढ के ही निवासी है तथा शम्भूगढ में ही निवास करते चले आ रहे हैं तथा शम्भूगढ में उनका पैतृक मकान था, जिस जगह का पुराने गृहों को विनियममितीकरण का पट्टा पंचायत द्वारा प्रार्थीगण/निगराकारान के हक में जारी किया गया। विपक्षी संख्या–1 भैरूलाल सेन ग्राम जीवार पंचायत जगपुरा का रहने वाला है, जो शम्भूगढ से 10 किमी दूरी पर है तथा भैरूलाल तथा उसके पिता श्री कल्याणमल जी का शम्भुगढ में कभी पुश्तैनी मकान नहीं रहा है, केवल मात्र तत्कालीन सरपंच शान्ता देवी विपक्षी संख्या–1 की मिलने वाली होने

के कारण विपक्षी संख्या–1 को नाजायज तौर लाभ पहुंचाने की गरज से प्रार्थीगण / निगराकारान के कब्जेशुदा एवं पट्टेशुदा भूखण्ड के आंशिक भू–भाग का पट्टा नियमों के विपरीत विपक्षी संख्या–1 के हक में जारी कर दिया। विपक्षी संख्या–2 द्वारा विपक्षी संख्या–1 के हक में पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत राज नियमों की कोई विधिवत् पालना नहीं की है, न ही स्थल नक्शा मौका पर बनाया है तथा न ही आपत्ति सूचनापत्र ही मौके पर चस्पा किया है, अगर स्थल नक्शा मौके पर बनाया जाता एवं आपत्ति सूचनापत्र मौके पर चस्पा किया जाता तो प्रार्थीगण/निगराकारगण जो कब्जाधारी थे, उन्हें इस तथ्य की पूरी जानकारी होती। नियम 146 के तहत कोई सरंक्षण मौका पर्चा भी कायम नही किया गया हैं तथा न ही तीन वार्ड पंचों की उपस्थिति में कोई मौका देखा गया हैं। जो आपत्ति सूचना पत्र की प्रति पत्रावली में संलग्न हैं, उसमें न तो किसी व्यक्ति का नाम अंकित हैं तथा न ही जायदाद के पडौस एवं नपती अंकित हैं। पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 146 से लगाकर 157 तक के नियमों की पालना नहीं की गई है। निवेदन हैं कि प्रार्थीगण/निगराकारान की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या – 2 द्वारा विपक्षी संख्या–1 के हक में जरिये मिशल संख्या 366 के जरिये दिनांक 26.05.2014 को पुराने गृहों के विनियमितीकरण का पट्टा संख्या 43 जारी किया गया, को अपास्त किया जावें।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार सं. 01 का उसके पूर्वजों के समय से ही पटटेशुदा भू भाग पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं। गैर निगराकार सं. 02 द्वारा विधिक नियमों की पालना करते हुए गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में उक्त पटटा जारी किया गया हैं। उक्त पटटा जारी किये जाने की जानकारी निगराकार को पटटा जारी किये जाने की दिनांक 01.01. 1996 से ही थी। उक्त निगरानी निगराकार द्वारा 21 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गयी हैं। जिससे निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य हैं। गैर निगराकार सं. 01 की कृषि भूमि ग्राम शम्भूगढ की सरहद से सटमा होकर पटटेशुदा भू भाग से मात्र 03 किमी. की दूरी पर स्थित हैं। गैर निगराकार सं. 01 अपने पूर्वजों के समय से ही ग्राम शम्भूगढ व जीवार दोनो जगह निवास कर रहा हैं एवं कृषि भूमि भी ग्राम शम्भूगढ में अवस्थित हैं। आवासीय जायदाद का पटटा जारी किये जाने के समय सरपंच शांता देवी सेन नही होकर कल्याणमल शर्मा थे, जिन्होनें विधिवत् पटटा जारी किया। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी असत्य आधारों पर आधारित होने से खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे पाया गया कि ग्राम पंचायत शम्भूगढ़ की पत्रावली सं. 01 दिनांक 15.04.1995 अनुसार अन्दर हल्का आबादी में पुराने प्लाट बाबत् दिनांक 20.12.2010 को पुश्तैनी पटटे जारी करने का प्रस्ताव पारित किया। ग्रामसभा में दिनांक 10.03.2011 को निर्णय लिया कि पत्रावली का अनुमोदन पंचायत समिति से प्राप्त होने के पश्चात् नियम 157(क) के तहत पटटे जारी किये जाये। 95 व्यक्तियों के नाम पटटे जारी करने का निर्णय लिया हैं, जिसमें क्रमांक 79 पर भैरूलाल

पिता कल्याणमल सेन का पटटे जारी करने का निर्णय अंकित हैं।

विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द ने मिसल नं. 1/15.04.1995 ग्राम पंचायत शम्भूगढ के पत्र क्रमांक 2041 दिनांक 19.12.2011 से अनुमोदन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत शम्भूगढ ने नजरी नक्शा भी प्रमाणित किया हैं।

निगराकार ने निगरानी में अंकित किया कि ग्राम शंभूगढ़ तहसील आसीन्द की आबादी भूमि में कुल नपती 30 फीट बाई 50 फीट क्षैत्रफल 1500 वर्गफीट के भूखण्ड पर अपना कब्जा होने संबंधी व पटटा जारी होने संबंधी कोई दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है। निगराकार ने निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की हैं कि गैर निगराकार संख्या 01 ग्राम शम्भूगढ का निवासी नही होकर ग्राम जीवार तहसील आसीन्द का निवासी हैं, जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 अनुसार जिस ग्राम की आबादी भूमि हैं उसी ग्राम का निवासी होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकरण मे गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी पटटा संख्या 43 दिनांक 26.05.2014 के संबंध में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत शंभूगढ़ की पत्रावली संख्या 366 में जारी पटटा संख्या 43 दिनांक 26.05.2014 के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत शंभूगढ तहसील आसीन्द को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.11.14 16:51:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: